REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220336 CG-DL-E-02072020-220336

# असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1930]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/आषाढ़ 11, 1942No. 1930]NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASHADHA 11, 1942

# रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2020

**का.आ. 2184(अ).**—केंद्रीय सरकार,भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा),यह मानते हुए कि भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श के बाद लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1)इस आदेश को एन-बूटाइल एक्रीलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश,2020 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई तालिका केस्तम्भ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा,लेकिन निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-तालिका के स्तम्भ (1)में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त तालिका के स्तम्भ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम,2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक लाइसेंस के अधीन मानक चिह्न होगा।

 प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-तालिका के स्तम्भ (1)में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

 उल्लंघन के लिए दंड-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

5. भारतीय मानकों में संशोधन या पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख-यह आदेश भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तालिका में निर्दिष्ट भारतीय मानकों में किए गए किसी संशोधन या पुनरीक्षण पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस संबंध में अधिसूचित तारीख से प्रभावी होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम	
(1)	(2)	(3)	
इथाइलीन ग्लाइकोल	आईएस 5295:1985	इथाइलीन ग्लाइकोल के लिए विनिर्दिष्टी	

# [फा. सं. PC-II-46016/3/2017--टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

## (Department of Chemicals and Petrochemicals)

## ORDER

## New Delhi, the 29th June, 2020

**S.O. 2184(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title, commencement and application – (1) This order may be called the n-Butyl Acrylate (Quality Control) Order, 2020.

(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.

2. **Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark** - Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of India Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

- 3. Certification and enforcement authority The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- 4. **Penalty for contravention** -Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.
- 5. **Date of effect of amendment or revision in Indian Standards -** This order shall apply to any amendment or revision made by the Bureau to the Indian Standards specified in the Table with effect from the date notified by the Bureau in this behalf.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Ethylene Glycol	IS 5295:1985	Specification for Ethylene Glycol

[F. No. PC-II-46016/3/2017-Tech.Cpc]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.